(175)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक- /2016 कन्टेम्पट

कन्टेम्पटकर्ता : रघुवीर सिंह पुत्र श्री लीलाधर शर्मा, उम्र–59वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम वरगंवा, तहसील कराहल जिला श्योपुर (म०प्र०)

बनाम

कन्टेम्पटनर्स :

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा भरत कुमार पुत्र स्व०श्री दुजूलाल, तहसीलदार तहसील करहाल जिला श्योरपुर (म०प्र०)
2. रामहेत पुत्र श्री किसल्ली
3. नत्थू पुत्र श्री किसल्ली
4. रामनारायण पुत्र श्री किसल्ली
5. रुगनाथ पुत्र श्री किसल्ली

समस्त निवासीगण–ग्राम वरगंवा, तहसील कराहल जिला श्योपुर (म०प्र०)

कन्टेम्पट आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 12 कन्टेम्पट अधिनियम 1971

जिस आदेश के पालन में कन्टेम्पट प्रस्तुत हैं, उसका विवरण

आदेश दिनांक 21.04.2016

न्यायालय का नाम-राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1083/I/2016

माननीय न्यायालय,

कन्टेम्पटकर्ता की ओर से कन्टेम्पट आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:–

1/0/SOHIL KHAN/Legal/420

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

विविध 9096/2016/कन्टेम्ट

जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-9-2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 21-4-16 को यह निष्कर्ष निकालते हुये अंतिम आदेश पारित किया गया था कि ग्राम बरगमा की भूमि सर्वे नंबर 777/2 रकबा 1.547 आवेदक रघुवीर प्रसाद शासकीय पट्टेदार भूमिस्वामी दर्ज था जिसे बिना प्रकरण दर्ज किये और बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय अभिलेख से उक्तांकित भूमि से आवेदक को नाम विलोपित किया गया था जिसे पूर्ववत दर्ज करनके आदेश इस न्यायालय द्वारा दिये गये थे। इस न्यायालय के आदेश के पश्चात भी तहसीलदार करहाल द्वारा आवेदक का नाम पूर्ववत दर्ज न करते इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। अतः तहसीलदार करहाल को यह निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 21-4-2016 के आदेश के कम में कार्यवाही कर एक माह में इस न्यायालय को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (एस0एस0 अली) सदस्य	